स्मरण पत्र

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग

प. 13(53) कार्मिक/क–1/गो.प्र./2017 जयपुर,दिनांक: 24 AUG 2017

समस्त प्रमुख शासन सचिव,
शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव,
उप शासन सचिव/समस्त विभागाध्यक्ष
(जिला कलक्टरों सहित)

NO/PA/Dir./P.H./
7354
15 SEP 2017
D.M. & H.S. (P.H.)

कार्यालय मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
क्रमांक 5577 14/9/17

Gen circulate to all concerned officers 19/9/17

विषयः–राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 53(1) के तहत अनिवार्य सेवानिवृति बाबत।

महोदय,

आपका ध्यान कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग के आदेश दिनांक 14.06.2017 की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। जिसके द्वारा राजस्थान सिविल सेवायें (पेंशन) नियम 1996 के नियम 53(1) के अनुसार ऐसे सरकारी अधिकारी/कर्मचारी जिन्होनें 15 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पूर्ण कर ली है एवं अपनी अकर्मण्यता, संदेहास्पद सत्यनिष्ठा, अक्षमता एवं अकार्यकुशलता अथवा असंतोषजनक कार्य निष्पादन के कारण जनहितार्थ आवश्यक उपयोगिता खो चुका है ऐसे सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की स्क्रीनिंग कर तीन माह के नोटिस अथवा उसके स्थान पर तीन माह के वेतन व भत्तों के भुगतान के साथ तुरन्त प्रभाव से राज्य सेवा से सेवानिवृत किया जा सकेगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु लिखा गया था।

14 SEP 2017

कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 14.06.2017 द्वारा विभागों द्वारा की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराने हेतु निवेदन किया गया था तथा इस विभाग द्वारा जारी निर्देशों अनुसार तीन माह के अन्दर यह कार्यवाही पूर्ण हो जानी चाहिए थी। इस संबंध में कार्मिक विभाग को इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नही हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि मामले में कोई आशातीत प्रगति नही हो पाई है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त आदेश के संबंध में कार्यवाही अतिशीघ्र पूर्ण की जाकर सूचना आवश्यक रुप से कार्मिक विभाग को प्रेषित कर दें। उक्त आदेश से सम्बन्धित जारी परिपत्र कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

भवदीय,

(अरविन्द पोसवाल)
संयुक्त शासन सचिव

Dir, PH

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– राजपत्रित/सामान्य/प–26/2017/652 दिनांक : 26/9/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क–1/गो.प्र.)विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राज0 जयपुर।
4. निदेशक, आर.सी.एच/ई.एस.आई./एड्स/भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि निर्देशों की आवश्यक रूप से पालना सुनिश्चित करवायें एवं वांछित प्रस्ताव निम्न हस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करें।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जयपुर/भरतपुर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर/अजमेर को भेजकर लेख है कि निर्देशों की आवश्यक रूप से पालना सुनिश्चित करवायें एवं वांछित प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान को भेजकर लेख है कि निर्देशों की आवश्यक रूप से पालना सुनिश्चित करवायें एवं वांछित प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
7. प्रधानाचार्य, R.F.P.T.C. जयपुर/K.N.T.B.D.C. अजमेर को भेजकर लेख है कि निर्देशों की आवश्यक रूप से पालना सुनिश्चित करवायें एवं वांछित प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाते हुए संबंधित अधिकारियों की ई–मेल आईडी पर भी अपलोड करने की व्यवस्था करावें।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।